

>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2019 (Substitution of new article for article 48A, etc.).

**SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN):** I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**SHRI RAJIV PRATAP RUDY:** I introduce the Bill.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री मनोज राजोरिया— उपस्थित नहीं ।

प्रो. सौगत राय— उपस्थित नहीं ।

माननीय सदस्यगण, इसके पहले कि मैं श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल को उनके गैर सरकारी सदस्य के विधेयक, अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर विचार करने के प्रस्ताव को पेश करने के लिए पुकारूं, सभा को इस विधेयक पर चर्चा हेतु समय का आबंटन करना है । यदि आप सभी सहमत हो तो दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाए ।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** सर, समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए

**अनेक माननीय सदस्य : हाँ-हाँ ।**

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नम्बर 77, अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल आप बोलिए ।

**16.47 hrs**